कार्यालय कलेक्टर जशपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट–2

–:: निविदा सूचना का प्रारूप ::–

क्रमांक 1955 /स्टेशनरी/भण्डार/2017 जशपुर, दिनांक 25/03/2017

लेखन एवं प्रपत्र सामग्री के अधिकृत विक्रेताओं से लेखन एवं प्रपत्र सामग्री प्रदान करने हेतु मोहर बन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में आवेदन पत्र (आयकर प्रमाण–पत्र सहित) रूपये 50.00 (रूपये पच्चास मात्र) नगद भुगतान कर दिनांक 10.04.2017 के समय दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा विक्री की अंतिम तिथि	10.04.2017	समय दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	10.04.2017	समय दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	10.04.2017	समय अपरान्ह 4.00 बजे तक

कलेक्टर
जशपुर (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक 1955A/स्टेशनरी/भण्डार/2017 जशपुर, दिनांक 25/03/2017

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर, (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा) जशपुर/कुनकुरी/बगीचा/पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ। आप अपने क्षेत्र के समस्त विक्रेताओं को सूचना से अवगत करावें तथा सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ चस्पा करावें।
3. तहसीलदार जशपुर/मनोरा/कुनकुरी/दुलदुला/फरसाबहार/बगीचा/कांसाबेल / पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ। आप अपने क्षेत्र के समस्त विक्रेताओं को सूचना से अवगत करावें तथा सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ चस्पा करावें।
4. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, जशपुर को सूचनार्थ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) जशपुर की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
जशपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय कलेक्टर, जशपुर (छ.ग.)
–:: निविदा शर्तें ::–

क्रमांक 1956 /स्टेशनरी/भण्डार/2017 जशपुर, दिनांक 25/03/2017

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये संलग्न सूची अनुसार लेखन सामग्री एवं अन्य सामग्री क्रय किया जाना है, जिसके लिए समस्त लेखन सामग्री विक्रेताओं से लेखन सामग्री प्रदाय करने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है :–
निविदा की शर्तें निम्नानुसार होगी :–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में अंतिम दिनांक 10.04.2017 को अपरान्ह 02.00 बजे तक जिला कार्यालय, जशपुर में प्राप्त हो जाना चाहिए, बाद में प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा दिनांक 10.04.2017 को समय सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों एवं अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।
2. निविदा दाता का सेल टैक्स विभाग में फर्म का जीवित पंजीयन होना चाहिए तथा क्लियरेंस होना चाहिए।
3. निविदाकार को अपनी निविदा में वाणिज्यकर की क्रमांक अंकित करना आवश्यक है। वाणिज्यकर क्रमांक अंकित न होने पर निविदा वैध नहीं मानी जावेगी।
4. निविदा कार्यालयीन समय पर (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालय कलेक्टर, जशपुर (प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा) में प्रस्तुत की जा सकती हैं । निविदाकर्त्ता सीलबन्द लिफाफे के ऊपर (प्रपत्र एवं लेखन सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा) लाल स्याही से अंकित करेंगे एवं फर्म/संस्था का नाम व पता ठीक ढंग से लिफाफे पर ही दर्शायेंगे।
5. निविदा के साथ प्रत्येक सामग्री का नमूना (सेम्पल) ट्रेडमार्क प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रत्येक सामग्री किस कम्पनी द्वारा निर्मित है, सामग्री का वजन आदि जानकारी दी जानी अनिवार्य हैं।
6. निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में 5,000=00 रूपये (रूपये–पांच हजार मात्र) एफ.डी. के रूप में जिला कार्यालय, जशपुर में जमा करना होगा। बिना प्रतिभूति राशि के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिस फर्म द्वारा विगत वर्ष में प्रतिभूति की राशि जमा की गई है, तो रसीद की छायाप्रति संलग्न की जावे।
7. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जावेगा। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र (लघु उद्योगों के लिये सक्षमता प्रमाण–पत्र) तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जावेगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जायेगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले लिफाफे को खोला जायेगा, अन्यथा निरस्त किया जायेगा।
8. सामग्री की मांग आदेश प्राप्त होने पर तत्काल जिला कार्यालय जशपुर को प्रदाय करना होगा।
9. प्रदाय की गई कोई भी सामग्री नमूने के अनुसार न होने अथवा निम्न स्तर की होने या कम होने की दशा में सामग्री निविदाकार को स्वतः के व्यय पर वापिस उठानी होगी।

क्रमशः ....2.......

10. सामग्री का बाजार भाव एवं एम.आर.पी. दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
11. निविदा स्वीकृति की सूचना के पश्चात् समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गये मांग पत्र अनुसार सामग्री सप्लाई करना अनिवार्य होगा । सफल निविदाकार (अच्छी गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले आई.एस.आई / आई.एस.ओ. ट्रेडमार्क की सामग्री प्रदाय करने वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी) को स्वयं के व्यय पर सामग्री जिला कार्यालय, जशपुर में पहुंचाना होगा। मांग पत्र के अनुसार सामग्री उपलब्ध न करने की दशा में सामग्री अन्य दुकानों से क्रय की जावेगी और उस पर होने वाले आर्थिक क्षति की रकम निविदाकर्त्ता की डिपाजिट राशि में से अन्यथा भू–राजस्व की वसूली की भांति वसूल की जावेगी।
12. सामाग्री नकली प्रदाय किये जाने पर ब्लेक लिस्ट जारी किया जावेगा।
13. किसी भी निविदा की स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर, जशपुर को होगा।
14. किसी भी प्रकार के निविदा के लिये कलेक्टर, जशपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार है।
16. निविदा में फोटोकापी मशीन का टोनर दर करने के लिए अधिकृत विक्रेता जशपुर जिला के लिए होना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर
जशपुर (छत्तीसगढ़)

पृ.क्रमांक 1956 A /स्टेशनरी/भण्डार/2017 जशपुर, दिनांक 25/03/2017

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर (समस्त).. (छत्तीसगढ़)
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा) जशपुर/कुनकुरी/बगीचा/पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार जशपुर/मनोरा/कुनकुरी/दुलदुला/फरसाबहार/बगीचा/कांसाबेल/पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, जशपुर को सूचनार्थ ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 जशपुर की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
6. लेखन सामग्री विकेता मेसर्स ....जिला–जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
जशपुर (छत्तीसगढ़)